किलककथा परमबाथ सासी और अन्य

बनाम

केरल राज्य

(अपराधिक अपील संख्या 1383/2023)

4 फरवरी, 2011

(हरजीत सिंह बेदी और चन्द्रमौली केआर.

प्रसाद, जेजे.,)

दंड संहिता, 1860 - धारा 302 सपठित धारा 34 - आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर खुद को एक गैर कानूनी सभा में गठित किया और राजनीतिक शत्रुता के कारण प्रदर्श 1 और उसके भाई पर तलवार, कुल्हाडी और चाकू से हमला किया। प्रदर्श 1 घायल हो गया था जबकि उसके भाई की अस्पताल में मृत्यु हो गयी। ट्रायल कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया, हालांकि उच्च न्यायालय ने चार लोगों(अपीलकर्ताओं) को बरी करने के फैसले को उलट दिया। एफआईआर की सहजता के बारे में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को पूरी तरह से समर्थन दिया गया है। प्रदर्श 1 एक घायल गवाह है, इसलिए उपस्थिति पर विवाद नहीं किया जा सकता। प्रदर्श 1 एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं था इसलिए राजनीतिक

प्रतिद्वंदिता के कारण उनके कहने पर झूठे आरोप लगाने का सवाल दूर की बात लगती है। अन्यथा भी, यह विश्वास करना भी मुश्किल है कि प्रदर्श 1 ने अपने भाई को हमलावरों के हवाले कर दिया हो। अभियोग पक्ष की कहानी पूरी तरह से सही थी और गवाह प्रदर्श 2 तथा दो स्वतंत्र गवाहों (प्रदर्श 3 और प्रदर्श 4) से पूरी तरह समर्थित थी।

बरी किये जाने के खिलाफ अपील- हस्तक्षेप की गुंजाइश- माना गया कि असाधारण मामलों को छोडकर अन्य मामलों में बरी किये जाने के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसी अपील में हस्तक्षेप तभी कहा जाता है जब ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष नतीजों से मेल नहीं खाते हों और विकृत हों।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के थे जबकि प्रदर्श 1 और उसका भाई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, और वो भी राजनीतिक दुश्मनी के कारण, आरोपी व्यक्ति ने एक गैरकानूनी सभा बनाई और प्रदर्श 1 और उसके भाई पर तलवार, कुल्हाडी और चाकू से हमला किया, जब वे बस स्टैंड पर बस से बाहर निकले थे। प्रदर्श 1 गंभीर रूप से घायल हो गया था जबकि उसके भाई की अस्पताल में मौत हो गई।

प्रदर्श 1 के भाई के शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिस पर प्रदर्श 7, डॉक्टर को 58 चोटें मिलीं, उनमें से अधिकांश कटे हुए घाव तथा काटने

से हुए घाव थे, उनमें से कुछ आकार में काफी बडे थे। प्रदर्श 1 की जांच डॉक्टर (प्रदर्श 8) द्वारा की गई, जिस पर भी तीन कटे हुए घाव पाए गये।

आरोपियों पर आइपीसी की धारा 149 सपठित धारा 147, 148, 307, 324, और 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए थे। ट्रायल कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। अपील पर उच्च न्यायालय ने माना कि ट्रायल कोर्ट का फैसला विकृत था तदानुसार चार आरोपियों (अपीलकर्ताओं) को बरी करने के फैसले को उलट दिया, जिन्हें धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी थी जबकि अन्य तीन को बरी करने का फैसला बरकरार रखा गया।

तत्काल अपीलों में अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी। अपीलकर्ताओं के द्वारा यह तर्क दिया गया कि मामले के तथ्य बरी किए जाने के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराते।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया :-

1. उच्च न्यायालय को असाधारण मामलों को छोडकर बरी किए जाने के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और ऐसी अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता तभी होती है, जब ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष सबूतों

से मेल नहीं खाते हैं और विकृत हैं। हालांकि, यह भी समान रूप से अच्छी तरह स्थापित है कि उच्च न्यायालय सबूतों का पुनः मुल्यांकन कर सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित था या नहीं और यदि उसे पता चलता है कि सबूतों पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष संभव नहीं थे, तो हस्तक्षेप किया जाना चाहिए अन्यथा न्याय का उपहास होगा। मौजूदा मामले में, उच्च न्यायालय का अरूलवेलु के मामले में दिशानिर्देशों और सिद्धांतों के तहत इस मामले में हस्तक्षेप करना पूरी तरह से उचित था।

अरूलवेलु और अन्य बनाम राज्य का प्रतिनिधित्व लोक अभियोजक व अन्य के द्वारा किया गया। (2009 (10) एससीसी 206] - संदर्भित।

2. घटना दोपहर करीब 2.30 बजे की है और पुलिस एक घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंची थी। प्रदर्श 1 व मृतक को थालास्सेरी के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया जहां लगभग 3.40 बजे मृतक की जांच की गई। लेकिन उसे कोजिकोडे के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया क्योंकि उसकी चोटें गंभीर थी जबकि प्रदर्श 1 को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सबूतों में यह भी सामने आया है कि जो एएसआई घायलों को थालास्सेरी के अस्पताल में ले गया था, वह कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर था लेकिन फिर भी वह कुथुपरम्बा पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन में घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस जनरल अस्पताल

पहुंची और शाम 5.30 बजे प्रदर्श 1 का बयान दर्ज किया। और इसके आधार पर शाम 7.15 बजे औपचारिक रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी और तुरंत मजिस्ट्रेट को भेज दी गई जिसने इसे रात 10 बजे प्राप्त कर किया। हालांकि ट्रायल जज ने इस मामले में यह कहते हुए गलती पाई कि घायल के साथ आए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन जा सकता था और बयान दे सकता था। यह अवलोकन दूर की कौडी है और यह जीवन की वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखता है। मृतक को लगभग 58 चोटें आयी थी, उनमें से अधिकतर कटे-फटे घाव थे और बडी मात्रा में खून बह रहा था और वह बहुत ही गंभीर हालत में था और परिचारकों और डाॅक्टरों सहित सभी की पहली चिंता उसे अस्पताल ले जाने की थी। उसकी भी शाम करीब 4 बजे मौत हो गई। इसलिए, एफआईआर की सहजता के बारे में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का पूरी तरह से समर्थन किया जाता है। [पैरा 11] [552-ए-एच; 553-ए]

3. प्रदर्श 1 एक घायल गवाह है इसलिए उसकी उपस्थिति पर विवाद नहीं किया जा सकता। यहां तक कि अभियुक्तों द्वारा पेश किए गए बचाव के अनुसार, प्रदर्श 1 कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता नहीं था। इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण उनके कहने पर भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठा फंसाना ही दूर की बात लगती है। अन्यथा भी, यह विश्वास करना कठिन है कि प्रदर्श 1 ने अपने भाई के सच्चे हमलावरों को छोड दिया

होगा। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष दिया था कि एफआईआर में प्रदर्श 1 ने केवल चार व्यक्तियों (जो अपीलकर्ता हैं) के नाम दिए थे, जबकि उसने बाद में एक पूरक बयान के माध्यम से तीन और व्यक्तियों के नाम जोडे थे और इस तरह उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सका, इसी तरह, ट्रायल कोर्ट को थालास्सेरी अस्पताल में प्रदर्श 1 द्वारा उसकी मेडिकल जांच के दौरान पेश की गई कहानी पर कुछ संदेह हुआ, जहां उसने डाॅक्टर को बताया की उसे और उसके भाई को भाजपा कार्यकर्ताओं ने घायल कर दिया था लेकिन उनके नामों के बारे डाॅक्टर को नहीं बताया। ट्रायल कोर्ट ने डाॅक्टर के साक्ष्य का हवाला देते हुए इस निष्कर्ष का समर्थन किया कि यदि नाम दिए गए होते तो उन्होंने उन्हें मेडिकल रिकोर्ड में नोट कर लिया होता। यह अवलोकन दूर की कौडी है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह डाॅक्टर का काम नहीं है कि वह उन लोगों केे नाम नोट करे जिन्होंने उस व्यक्ति को चोट पहुंचाई होगी जिसकी उसके द्वारा जांच की जा रही है। इसके उलट हकीकत यह है कि भाजपा के शामिल होने का बयान शाम करीब 4 बजे थालास्सेरी अस्पताल में दिया गया था जिससे यह पता चलता है कि अभियोजन की कहानी पूरी तरह से सही थी। साथ ही प्रदर्श 1 ने पूरी जानकारी दी थी कि कैसे वह और उसका भाई बस में संयोगवश मिले थे और आयिथारा बस स्टैंड पर किस तरह घटना घटी थी। [पैरा 11] [553-बी-एच; 554-ए-बी]

4. अभियोजन की कहानी प्रदर्श 2, 3 और 4 के साक्ष्यों से भी पूरी तरह समर्थित है। उच्च न्यायालय ने प्रदर्श 3 और 4 की उपस्थिति के संबंध में प्रदर्श 1 के बयान पर भरोसा किया है लेकिन प्रदर्श 2 की उपस्थिति के बारे में कुछ संदेह व्यक्त किया है, प्रदर्श 2 उन व्यक्तियों में से एक था जो घटना के बाद मृतक और प्रदर्श 1 को थालास्सेरी अस्पताल ले गया था, केवल इसलिए कि प्रदर्श 1 ने एफआईआर में प्रदर्शों की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया है इसका मतलब यह नहीं है कि वह उपस्थित नहीं था। प्रदर्श 3 और 4 स्वतंत्र गवाह हैं। गौरतलब है कि प्रदर्श 1 और प्रदर्श 2 ने बताया कि प्रदर्श 3 भी उसी बस में यात्रा कर रहा था, प्रदर्श 3 ने भी स्पष्ट बयान दिया है कि उसने मृतक और प्रदर्श 1 को बस में देखा था और आयिथारा बस स्टैंड पर बाबू की दुकान के बाहर की घटना की साक्षी हैै। प्रदर्श 4 की उपस्थिति के संबंध में भी कोई संदेह नहीं है जो वास्तव में एक स्वतंत्र गवाह है। उसने कहा कि वह एक आॅटो रिक्शा चालक था और अपने आॅटो की मरम्मत कराने के लिए उस स्थान पर आया था। और उसने यह घटना घटित होते देखी थी। ऐसा कोई कारण नहीं है कि उनके बयान को खारिज क्यों किया जाना चाहिए। [पैरा 12] [554-सी-जी]

5. यह भी सच है कि जांच अधिकारी ने गवाही दी थी कि जिस रूट पर बस चली थी, उसके लिए उन्होंने 'ट्रिप-शीट' अपने कब्जे में ले ली थी। हालांकि, यह मानते हुए भी कि बस चालक दल की जांच की जानी चाहिए

थी क्योंकि इससे अभियोजन साक्ष्य के मूल्य में काफी वृद्धि होती, लेकिन उनके गैर-परीक्षण मामले का मतलब यह नहीं होगा कि पूरी अभियोजन कहानी विफल हो जाएगी क्योंकि एक घायल व्यक्ति सहित कई अन्य भरोसेमंद गवाह मौजूद थे। [पैरा 12] [554-एच; 555-ए-बी]

केस कानून संदर्भः

2009 (10) संदर्भ में पैरा 10

अपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः अपराधिक अपील संख्या 1383/ 2003

अर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के द्वारा 2000 की अपराधिक अपील संख्या 198 के निर्णय और आदेश दिनांक 23.05.2023 से।

अपीलकर्ताओं के लिए यू.आर.ललित, ई.एम.एस.अनम, और फजलिन अनम।

प्रतिवादी की ओर से दिनेश द्विवेदी, जी.प्रकाश, बीना प्रकाश, वी.सैंथिल

न्यायालय का निर्णय हरजित सिंह बेदी द्वारा दिया गया।

1. प्रदर्श 1 शाजी, जो मृतक सत्यन का भाई है के द्वारा दी गई अभियोजन की कहानी इस प्रकार हैः-

24 मार्च, 1994 को दोपहर करीब 1.45 बजे शाजी (प्रदर्श 1) को थालस्सेरी से अइथारापुझा और कुथुपरम्बा के रास्ते वातापारा तक बस से यात्रा करनी थी। वह अइथारापारा से बस में चढ गया। जैसे ही वह बस में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसका भाई सत्यन भी उसी बस से यात्रा कर रहा है और चूंकि उसके पास में ही एक सीट खाली थी, तो वह जाकर उसी सीट पर बैठ गया। प्रकाशन (प्रदर्श 2), श्यामला(प्रदर्श 3) और आरोपी सासी और दासन के सहित 10 या 15 अन्य यात्री भी बस में थे। दोपहर करीब 1.55 बजे बस अइथारापुझा पहुंची लेकिन इससे पहले कि प्रदर्श 1 और मृतक बस से उतर पाते, सासी और दासन चिल्लाए कि उनकी हत्या कर दी जाएगी और ऐसा कहते ही उन्होंने प्रदर्श 1 और सत्यन को सडक पर धक्का दे दिया। फिर अन्य तीन व्यक्ति सडक के किनारे स्थित बाबू की दुकान से बस की ओर भागे। अंबु और पेरूथेरी ने आरोपियों सासी और सत्यन को एक-एक तलवार सौंपी जिसके बाद सासी ने शाजी के हाथों पर चोटें पहंुचायी। कुल्हाडी से लैस आरोपी अशोकन ने सत्यन के चेहरे और सिर पर चोटें पहुंचाई, जबकि लंबे चाकू से लैस आरोपी बाबू ने सत्यन के बाएं हाथ पर चोटें पहुंचाई और दासन ने सत्यन के पेट पर तलवार से वार किया। अन्य आरोपियों ने मृतक के साथ-साथ प्रदर्श 1 को भी कुछ चोटें पहुंचाई। प्रदर्श 1 के बयान में, उसने सभी सात आरोपियों को पहचान लिया था जिन्होंने उसे और उसके भाई को चोटेंे पहुंचाई थी। एक पुलिस जीप जल्दी ही घटनास्थल पर पहुंची और प्रदर्श 1 और सत्यन को कुथुपरम्बा

अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चूंकि उनकी हालत गंभीर थी इसलिए उन्हें एक कार से थालास्सेरी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डाॅक्टर द्वारा दोनों की जांच की गई। और जब प्रदर्श 1 को वहां भर्ती कराया गया तो सत्यन को कोझिकोड मेडिकल काॅलेज रेफर कर दिया गया, जहां जल्द ही उसकी मौत हो गई। शाम लगभग 5.30 बजे, पुलिस थालास्सेरी अस्पताल पहुंची और प्रदर्श 1 का बयान दर्ज किया, जिसके आधार पर एफआईआर की रिकोर्डिंग में सात हमलावरों का जिक्र था, लेकिन केवल चार का नाम बताया गया और सुझाव दिया गया कि हत्या राजनीतिक प्रतिद्वंदता का परिणाम थी क्योंकि आरोपी भारतीय जनता पार्टी के थे जबकि मृतक और प्रदर्श 1 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे। एफआईआर में यह भी लिखा गया था कि इस घटना को प्रकाशन(प्रदर्श 2) और मनोहरन (प्रदर्श 4) ने देखा था। सत्यन के शव का भी पोस्टमार्टम किया गया, और डाॅक्टर प्रदर्श 7, ने 58 चोटें पाईं, उनमें से अधिकांश कटे हुए और काटने वाले घाव थे, उनमें से कुछ बडे आकार थे। डाॅक्टर प्रदर्श 8 द्वारा प्रदर्श 1 की भी चोटों की जांच की गई, और उस पर भी तीन कटे हुए घाव पाए गए। जांच पूरी होने पर, आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पढी जाने वाली धारा 147, 148, 307, 324, और 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए।

2. ट्रायल कोर्ट ने माना कि हालांकि प्रदर्श 1 एक घायल गवाह है फिर भी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि एफआईआर में उसने केवल चार आरोपियों यानी सासी, दासन, अशोकन और बाबू का नाम लिया था, हालांकि उसने तीन अन्य का जिक्र किया था। और सर्किल इंस्पेक्टर को दिए एक पूरक बयान में इन तीनों का भी नाम लिया था और उसने दो समूहों के बीच गहरी राजनीतिक दुश्मनी की बात भी स्वीकार की थी, जिससे उसकी कहानी पर संदेह पैदा हो गया था। अदालत ने यह भी माना कि पुलिस ने प्रदर्श 1 और उसके घातक रूप से घायल भाई को पुलिस जीप से अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन चूंकि पुलिस अधिकारी ने प्रदर्श 1 का बयान दर्ज करने का कोई प्रयास नहीं किया था, उस स्तर पर अभियोजन पक्ष की कहानी, जाहिरा तौर पर, बाद में सोची गई कहानी थी और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। अदालत ने यह भी कहा कि जिस तरह सभी आरोपियों ने चोटें पहुंचाईं, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्यक्ष इस भौतिक पहलू पर असंगत थे। ट्रायल कोर्ट ने प्रकाशन प्रदर्श 2 के साक्ष्यों को देखा और पाया कि वह प्रासंगिक समय पर बस में अपनी उपस्थिति के बारे में बताने में असमर्थ था, इस तथ्य के बावजूद कि उसकी उपस्थिति विशेष रूप से एफआईआर में इंगित की गई थी। अदालत ने तब बस में अन्य यात्रियों में से एक श्यामला (प्रदर्श 3) के साक्ष्य की जांच की और पाया कि उसकी उपस्थिति भी संदिग्ध थी क्योंकि उसका नाम एफआईआर में नहीं था। अदालत ने यह भी पाया कि प्रदर्श 4,

एक अन्य चश्मदीद गवाह ने गवाही दी थी कि वह बाबू की दुकान के पास अइथारा में बस स्टाॅप पर मौजूद था जब बस रूकी थी और यात्री नीचे उतर रहे थे, तो उसने चिल्लाने की बहुत तेज आवाज को सुना था और उसके बाद उस घटना को देखा था जिसमें चार आरोपी-अपीलकर्ताओं ने मृतक और प्रदर्श 1 को बडी संख्या में चोटें पहुंचाईं, लेकिन चूंकि प्रदर्श 4 ने स्वीकार किया कि वह कुथुपरम्बा से चलने वाला एक आॅटो चालक था और आॅटोरिक्शा कुथुपरम्बा में खडा था, उसके द्वारा बताई गयी कहानी कि वह इसकी मरम्मत कराने के लिए अयिथारा आया था, संदिग्ध प्रतीत हुई। अदालत ने यह भी पाया कि चश्मदीद गवाह का बयान चिकित्सा साक्ष्य के तथ्य द्वारा प्रमाणित नहीं था कि सभी कटी हुई चोटों पर स्पष्ट मार्जिन दिखाई दे रहा था, जबकि अभियोजन पक्ष ने सुझाव दिया था कि आरोपी नंबर 5 से 7 के पास धारदार हथियार और छडी थे।

3. अदालत ने प्राथमिक जांच अधिकारी प्रदर्श 15 के साक्ष्य पर भी गौर किया और राय दी कि जिस तरह से उनके द्वारा जांच की गई थी, उसमें कुछ चूक हुई है। निष्कर्ष में ट्रायल कोर्ट ने कहा किः

> "रिकोर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्यों की सराहना करते हुए, मेरा मानना है कि कथित चश्मदीद गवाह प्रदर्श 1 से 4 के साक्ष्य इस्तेमाल किए गए हथियार के संबंध में असंगत हैं और जब गवाहों ने अदालत के सामने गवाही दी तो उन्होंने

भी अपने बयान में सुधार किया। कई महत्वपूर्ण बिंदु, जो पुलिस को नहीं बताए गए हैं, अदालत के समक्ष पेश किए गए हैं। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में गवाहों ने इस अदालत के समक्ष घटित वास्तविक घटना का बयान नहीं दिया है। सुधार किए गए हैं और इसलिए, मैं गवाहों के बयान को सत्य और सही मानने में असमर्थ हूं। इसी तरह, चिकित्सा साक्ष्य भी प्रदर्श 2 द्वारा दिए गए साक्ष्य मामले के अनुरूप नहीं है और अभियोजन पक्ष का मामला कि सत्यम और शाजी की हत्या ने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया और चैथे आरोपी बाबू की दुकान पर मृतक के बस में पहुंचने का इंतजार किया, इस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस परिस्थिति में, मेरा मानना है कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले में सच्ची घटना इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है जिसमें कथित तौर पर राजनीतिक दुश्मनी के कारण एक अन्य युवक की हत्या कर दी गई है। इसलिए, मेरा मानना है कि अभियोजन पक्ष इन आरोपियों के खिलाफ मामले को ठोस रूप से साबित करने में विफल रहा है।"

4. तदनुसार, ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इसके बाद राज्य द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गई। उच्च न्यायालय ने सिद्धांतों को ध्यान रखते हुए सबूतों की फिर से जांच की, अब सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत हैं, कि यदि ट्रायल जज द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित था और सम्भवतः साक्ष्य पर लिया जा सकता था, तो अपीलीय अदालत द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। किसी अभियुक्त की बेगुनाही की धारणा को ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बरी किए जाने से बल मिला। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त व्यापक सिद्धांतों की मौजूदगी में साक्ष्य की जांच की और पाया कि घटना लगभग 2.30 बजे हुई थी और घायलों को पहले कुथुपरम्बा सरकारी अस्पताल ले जाया गया और फिर शाम चार बजे थालास्सेरी सरकारी अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद सत्यन को कोझिकोड के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। अदालत ने कहा कि सत्यन की गंभीर हालत के कारण, उसका परिवार उसे बचाने के लिए जल्द से जल्द अस्पताल ले गया और लगभग 5.30 बजे तुरंत एफआईआर दर्ज की गई थी। और शाजी (प्रदर्श 1) के कहने पर अपीलकर्ताओं आरोपियों सासी, दासन, अशोकन और बाबू को नामित किया गया था। अदालत ने तब चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य पर विचार किया और सबसे पहले प्रदर्श 1 के साक्ष्य की जांच की, जो कथित तौर पर एक घायल गवाह था। अदालत ने कहा कि एफआईआर में दर्ज किया गया था कि दो अपीलकर्ता सासी व दासन तथा प्रकाशन(प्रदर्श 2)

और श्यामला(प्रदर्श 3) घटना के समय बस में मौजूद थे और उनका ग्राफिक विवरण अन्य परिस्थितियों के साथ घटना में फिट बैठता है। इसके बाद अदालत ने प्रदर्श 2 के साक्ष्य पर गौर किया, जिस पर मृतक का करीबी होने का आरोप था और इस बयान को स्वीकार कर लिया कि उस दिन सुबह 10 बजे वह और सत्यन कुथुपरम्बा में एक फिल्म शो में गए थे ओर वे दोनों घर पर दोपहर का भोजन करने वाले थे, उन्होंने वापस जाने के लिए बस ली और जब बस अइथारा बस स्टैंड पर पहुंची, तो यह घटना घटी। उन्होंने यह भी कहा कि वह भी उस पुलिस जीप में थे जो घायलों को अस्पताल ले गई थी। अदालत ने श्यामला (प्रदर्श 3) के बयान की भी जांच की, जिसका नाम एफआईआर में भी आया था और मनोहरन (प्रदर्श 4) के बयान की भी जांच की, जो वास्तव में एक स्वतंत्र गवाह था, क्योंकि वह अपने आॅटोरिक्शा की मरम्मत के लिए बाबू की दुकान के पास खडा था और उसका किसी भी पक्ष से कोई संबंध नहीं था।

5. तथ्यों की इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने पाया कि ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई थी, विकृत था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था, विशेष रिपोर्ट उसी दिन शाम 7.30 बजे मजिस्ट्रेट को सौंप दी गई थी। अदालत ने यह भी पाया कि घायलों के परिवार और दोस्तों की पहली चिंता उन्हें अस्पताल ले जाने की थी और अगर उस प्रयास में एक या दो घंटे लग जाते तो उन परिस्थितियों में यह

अपेक्षित नही था। अदालत ने यह भी माना कि प्रदर्श 1, जो एक घायल गवाह था, की उपस्थिति को चुनौती नहीं दी जा सकती है, और चूंकि विवाद स्पष्ट रूप से दो प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के बीच का था, इसलिए यह विश्वास करना मुश्किल होगा कि सच्चे हमलावरों को छोड दिया जाएगा और अन्य को शामिल कर लिया जाएगा। अदालत ने आगे कहा कि प्रदर्श 1 के साक्ष्य की पुष्टि प्रदर्श 2, प्रदर्श 3 और प्रदर्श 4 ने की थी जो वास्तव में स्वतंत्र गवाह थे और हालांकि प्रदर्श 2 के नाम का जिक्र एफआईआर में नहीं है लेकिन तथ्य यह है कि जब घायल को अस्पताल ले जाया गया तो वह मौजूद था, जो घाव प्रमाणपत्र से स्पष्ट था, उसकी उपस्थिति को भी स्वीकार किया जाना था। अदालत ने अंततः पाया कि ट्रायल कोर्ट का फैसला विकृत था और तदनुसार अपीलकर्ता यानी सासी, दासन, अशोकन और बाबू की अपील को अनुमति दी गई, जबकि आरोपी नंबर 5 से 7 यानी पी.सुधाकरन, वी.सुधाकरन और वी.रघु पर फैसला कायम रखा गया।

6. तदनुसार, उच्च न्यायालय ने चार अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ सपठित धारा 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

7. इन तथ्यों पर हमारे सामने यह मामला है।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ललित ने हमारे सामने कई तर्क रखे हैं। उन्होंने पहले तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने में

अस्पष्ट देरी हुई थी और चूंकि पक्षों के बीच गंभीर दुश्मनी थी, इस देरी का उपयोग अभियोजन पक्ष द्वारा झूठी कहानी बनाने और निर्दोष व्यक्ति को शामिल करने में किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि उच्च न्यायालय ने भी ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष का समर्थन किया था कि तीन आरोपी स्पष्ट रूप से उपस्थित नहीं थे, जिससे अभियोजन पक्ष के गवाहों की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा हुआ। यह भी दलील दी गई कि चारों चश्मदीद गवाहों के बयान आपस में असंगत थे और दोनों डाॅक्टरों प्रदर्श 7 और प्रदर्श 8 के मेडिकल सबूतों द्वारा भी समर्थित नहीं थे, जो स्पष्ट रूप से दिखाते थे कि चश्मदीद मौके पर मौजूद नहीं थे। आगे यह भी बताया गया कि प्रदर्श 2, 3 और 4 की उपस्थिति को भी खारिज किया जा सकता है क्योंकि प्रदर्श 2 की उपस्थिति एफआईआर में इंगित नहीं की गई थी और अभियोजन पक्ष के लिए गवाही देने के लिए सबसे अच्छे गवाह बस के चालक दल के लोग थे जिनसे पूछताछ नहीं की गई थी। हालांकि जांच अधिकारी प्रदर्श 15 ने स्वीकार किया था कि उसने उनसे ट्रिप-शीट बरामद की थी। अंत में उन्होंने कहा कि ये तथ्य बरी किए जाने के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराते।

9. हालांकि, केरल राज्य के विद्वान वकील श्री द्विवेदी ने उपरोक्त प्रस्तुतियों का खंडन किया है और बताया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को पूरी तरह से जानते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया

था कि यह बरी किए जाने के खिलाफ एक अपील का मामला है जिसमें उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप को सीमित कर दिया गया था और पाया था कि हस्तक्षेप की आवश्यकता थी क्योंकि ट्रायल कोर्ट का निर्णय विकृत था। उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर दर्ज करने में बिल्कुल भी देर नहीं हुई थी और इसके विपरीत ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष विकृत था और सबूतों के आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता था। आगे बताया गया कि शाजी (प्रदर्श 1) की उपस्थिति के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है, जोकि एक घायल गवाह और मृतक का भाई था और न ही अन्य गवाहों की उपस्थिति के बारे में कोई संदेह हो सकता हैै क्योंकि वे वास्तव में स्वतंत्र गवाह थे और केवल इसलिए कि प्रदर्श 1 ने पहली बार में सभी सात आरोपियों का नाम नहीं लिया, इस स्तर पर इसका कोई परिणाम नहीं था क्योंकि जिन तीन आरोपियों का नाम नहीं लिया गया था, उन्हें बरी कर दिया गया था और वे इस अदालत के समक्ष अपील में नहीं थे।

10. इससे पहले की हम सबूतों की गुणवत्ता पर जाएं, हमें बरी किए जाने के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के सवाल से निपटना चाहिए। यह सच है कि अरूलवेलु और अन्य बनाम राज्य का प्रतिनिधित्व लोक अभियोजक व अन्य के द्वारा किया गया। [2009 (10) एचसीसी 206], और पहले व बाद के निर्णयों की श्रंखला में, यह माना गया है कि उच्च न्यायालय को असाधारण मामलों को छोडकर बरी किए

जाने के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसी अपील में हस्तक्षेप केवल तब आवश्यक था यदि ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं थे और विकृत थे। हालांकि, यह समान रूप से अच्छी तरह स्थापित है कि उच्च न्यायालय सबूतों फिर से मूल्यांकन कर सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित था या नहीं और यदि उसे लगता है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दिये गया निष्कर्ष साक्ष्य से उचित नहीं थे तो हस्तक्षेप अवश्य किया जाना चाहिए अन्यथा न्याय का उपहास होगा। हमारी राय है कि निम्नलिखित के आधार पर उच्च न्यायालय का इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित था।

11. श्री ललित का प्राथमिक तर्क एफआईआर में देरी के संबंध में है। उन्होंने कहा कि घटना दोपहर करीब 2.30 बजे घटी थी और अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रदर्श 1 का बयान शाम लगभग 5.30 बजे दर्ज किया गया था, लेकिन विशेष रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को रात में लगभग 10 बजे दी गई थी, ऐसा प्रतीत हुआ कि एफआईआर बयान लगभग 7 या 7.30 बजे दर्ज किया गया था और वह भी काफी सोच-विचार के बाद।

यह सच है, और यदि ऐसा पाया जाता है कि एफआईआर देर से दर्ज की गई है, तो एक अनुमान सही ढंग से लगाया जा सकता है कि अभियोजन की कहानी सच नहीं हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ भी समान रूप से यह पाया जाता है कि एफआईआर में कोई देरी नहीं हुई है

तो अभियोजन की कहानी बेहद मजबूत होगी। उच्च न्यायालय ने इस मामले के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की फिर से जांच की है। हमने देखा घटना दोपहर करीब 2.30 बजे घटी और पुलिस एक घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंची थी। प्रदर्श 1 और मृतक को थालास्सेरी के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया जहां लगभग 3.40 बजे मृतक की जांच की गई। लेकिन उसे कोझिकोडे के मेडिकल कालेज में रेफर कर दिया गया क्योंकि उसकी चोटें गंभीर थी जबकि प्रदर्श 1 को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सबूतों में यह भी सामने आया है कि घायलों को थालास्सेरी के अस्पताल में ले जाने वाला एएसआई कानून-व्यवस्था की ड्यूटी पर था लेकिन फिर भी वह कुथुपरम्बा पुलिस स्टेशन पर गया था और उस पुलिस स्टेशन पर घटना के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस जनरल अस्पताल पहुंची और शाम 5.30 बजे प्रदर्श 1 का बयान दर्ज किया और इसके बाद शाम 7.15 बजे औपचारिक रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी और तुरंत मजिस्ट्रेट को भेज दिया गया जिसने इसे रात 10 बजे प्राप्त किया हालांकि, ट्रायल जज ने इस मामले में यह कहते हुए गलती पाई कि घायल के साथ आए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन जा सकता था और बयान दे सकता था। हमारे विचार मे यह अवलोकन दूर की कोडी है और यह जीवन की वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मृतक को लगभग 58 चोटें लगी थी, उनमें से अधिकांश कटने और काटने के घाव थे जिनसे बडी

मात्रा में खून बह रहा था, और बहुत गंभीर हालत में था और परिचारकों और डाॅक्टरों सहित सभी की पहली चिंता उसे अस्पताल ले जाने की थी। शाम करीब ं4 बजे उसकी भी मौत हो गई, इसलिए हम एफआईआर की सहजता के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

श्री ललित ने प्रदर्श 1 के साक्ष्यों पर भी सवाल उठाया है, जो कि निश्चित रूप से एक घायल चश्मदीद गवाह है और जिसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि चूंकि यह घटना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदता का नतीजा थी, और यह तथ्य कि प्रदर्श 1 ने डाॅक्टर के द्वारा अपनी जांच के दौरान सभी हमलावरों के नाम नहीं बताए थे और केवल इतना कहा था कि भाजपा कार्यकर्ता जिम्मेदार थे, उसके बयान पर संदेह पैदा करता है। तदनुसार, यह निवेदन किया गया कि प्रदर्श 1 को स्पष्ट रूप से अभियुक्तों के नाम नहीं पता थे और अभियुक्तों को विचार-विमर्श के बाद शामिल किया गया था। हमें इस प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं दिखती, क्योंकि माना गया है कि प्रदर्श 1 एक घायल गवाह है इसलिए उसकी उपस्थिति पर विवाद नहीं किया जा सकता। यहां तक कि अभियुक्तों द्वारा पेश किए गए बचाव के अनुसार, प्रदर्श 1 कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता नहीं था। इसलिए उसके कहने पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण भाजपा

कार्यकर्ताओं को झूठा फंसाने का सवाल दूरस्थ प्रतीत होता है। अन्यथा भी, हमारे लिए यह विश्वास करना कठिन है कि प्रदर्श 1 ने अपने भाई के सच्चे हमलावरों को छोड दिया होगा। ट्रायल कोर्ट ने हालांकि निष्कर्ष दिया था कि एफआईआर में, प्रदर्श 1 ने केवल चार आरोपियों(जो हमारे सामने अपीलकर्ता हैं) के नाम दिए थे, जबकि उसने अन्य तीन नाम अपने एक पूरक बयान के माध्यम से जोडे थे। ऐसे में उसकी कहानी पर यकीन नहीं किया जा सका। इसी तरह, ट्रायल कोर्ट को प्रदर्श 1 द्वारा थालास्सेरी अस्पताल में उसकी मेडिकल जांच के के बारे में बताई गई कहानी पर कुछ संदेह हुआ, जहां उसने डाॅक्टर को बताया था कि उसे और उसके भाई को भाजपा कार्यकर्ताओं ने घायल कर दिया था पर उन्हें उनके नाम नहीं बताए। ट्रायल कोर्ट ने डाॅक्टर के साक्ष्य का हवाला देते हुए इस निष्कर्ष का समर्थन किया कि यदि नाम बताए गए होते तो डाॅक्टरों ने उन्हें मेडिकल रिपोर्ट में नोट कर लिया होता। हमें यह अवलोकन दूर की कौडी लगता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह ध्यान में रखना होगा कि डाॅक्टर का कार्य उन लोगों के नाम दर्ज करना नहीं है जिन्होंने उस व्यक्ति को चोटें पहंुचाई होगी जिसका उसके द्वारा जांच की जा रही है। इसके उलट हकीकत यह है कि भाजपा के शामिल होने की बयान शाम करीब 4 बजे थालास्सेरी अस्पताल में दिया गया था यह सुझाव देता है कि अभियोजन की कहानी पूरी तरह से सही थी। हम यह भी देखते हैं कि

प्रदर्श 1 ने पूरी जानकारी दी है कि कैसे वह और उसका भाई बस में संयोग से मिले थे और किस तरह से आइथारा बस स्टैंड पर घटना घटी थी।

12. अभियोजन की कहानी प्रदर्श 2,3 और 4 के साक्ष्यों से भी पूरी तरह समर्थित है। उच्च न्यायालय ने प्रदर्श 3 और 4 की उपस्थिति के संबंध में प्रदर्श 1 के बयान पर भरोसा किया है लेकिन प्रदर्श 2 की उपस्थिति के बारे में कुछ संदेह व्यक्त किया है, हमने ट्रायल जज की टिप्पणीयों की तुलना में उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की जांच की है। हम देखते हैं कि प्रदर्श 2 उन व्यक्तियों में से एक था जो घटना के बाद मृतक और प्रदर्श 1 को थालास्सेरी अस्पताल ले गया था, क्योंकि उसका नाम घायलों की जांच के समय अस्पताल में मौजूद व्यक्तियों में था। केवल इसलिए कि प्रदर्श 1 ने एफआईआर में प्रदर्शों की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया है इसका मतलब यह नहीं है कि वह उपस्थित नहीं था। हमने यह भी पाया कि प्रदर्श 3 और 4 स्वतंत्र गवाह हैं। गौरतलब है कि प्रदर्श 1 और प्रदर्श 2 ने बताया कि प्रदर्श 3 भी उसी बस में यात्रा कर रहा था, प्रदर्श 3 ने भी स्पष्ट बयान दिया है कि उसने मृतक और प्रदर्श 1 को बस में देखा था और आयिथारा बस स्टैंड पर बाबू की दुकान के बाहर की घटना की साक्षी हैै। हमारी यह भी राय है कि प्रदर्श 4 की उपस्थिति के संबंध में भी कोई संदेह नहीं है जो वास्तव में एक स्वतंत्र गवाह है। उसने कहा कि वह एक आॅटो रिक्शा चालक था और अपने आॅटो की

मरम्मत कराने के लिए उस स्थान पर आया था। और उसने यह घटना घटित होते देखी थी। ऐसा कोई कारण नहीं है कि उनके बयान को खारिज किया जाए।

हालांकि, श्री ललित ने बस चालक दल की जांच न किए जाने के संबंध में भी कुछ तर्क उठाए हैं। यह सच है कि जांच अधिकारी प्रदर्श 15 ने गवाही दी कि उसने उस रूट की ट्रिप-शीट अपने कब्जे मंे ले ली थी, जिस रूट से बस चली थी। हालांकि, यह मानते हुए भी कि बस चालक दल की जांच की जानी चाहिए थी क्योंकि इससे अभियोजन साक्ष्य के मूल्य में काफी वृद्धि होती, लेकिन उनके गैर परीक्षण मामले का मतलब यह नहीं होगा कि अभियोजन की कहानी विफल हो जाएगी क्योंकि एक घायल सहित कई अन्य विश्वसनीय गवाह वहां मौजूद थे।

इसलिए हमारी राय है कि उच्च न्यायालय का अरूलवेलु के मामलेे में दिशानिर्देशों और सिद्धांतों के तहत इस मामले में हस्तक्षेप करना पूरी तरह से उचित था।

तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी भीम सिंह मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।